भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1353

जिसका उत्तर 22 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

31 भाद्रपद, 1942 (शक)

जाली आधार कार्ड

1353. श्री बिनोय विस्वम :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कोई मामले हैं जहां मंत्रालय द्वारा जाली आधार कार्ड पाए गए हों;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पाए गए हैं;

(ग) यूआईडीएआई द्वारा इसकी शुरुआत से कितने आधार कार्ड निष्क्रिय किए गए हैं; और

(घ) आज की तारीख तक देश में आधार की कुल कवरेज कितनी है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): जी हां। ऐसी जाली आधार संख्याओं को आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 27 के अंतर्गत रद्द किया गया है। दिनांक 31.08.2020 तक कुल 40,955 जाली आधार संख्याओं को रद्द किया गया है।

(ग): अन्य बातों के साथ-साथ अद्यतन किए जाने की आवश्यकता रखने वाले गलत डेटा के कारण आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 28 के अंतर्गत

आधार संख्या को निष्क्रिय किया जाता है । दिनांक 31.08.2020 की स्थिति के अनुसार 30.16 लाख आधार नम्बर निरस्त समझे जाएं ।

(घ): दिनांक 31.08.2020 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 137.05 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या (2020) की तुलना में कुल 126.17 करोड़ आधार संख्याएं सृजित की गई हैं । तथापि, मृत्यु के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या कम है । अत: जीवित आधार धारकों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए ''लाइवआधार'' नामक संकल्पना शुरू की गई है । यह अनुमान लगाया गया है कि 'लाइव आधार' की संख्या 121.86 करोड़ है । समग्र आधार (लाइव) संतृप्ति 88.92% है ।

*****